

# बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ

पटना- 800005 (बिहार)

(अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, नई दिल्ली)

पंजीयन-97/82



प्रदेश अध्यक्ष

**शंकर यादव**

एल.एन.एम.यू. दरभंगा।

मो- 9430996453 / 8271191632



प्रदेश महासचिव

**राघवेन्द्र कुमार**

बी0आर0ए0बी0यू0, मुजफ्फरपुर

मो-9973358168

## उपाध्यक्ष

**डॉ० दीलिप कुमार गुप्ता**पटना विश्वविद्यालय, पटना  
मो- +91-7631696569**डॉ० सरोज कुमार सिंह**जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा  
मो- +91- 9939745814

## कापाध्यक्ष

**जनाब मंजर इमाम**बी० कुं० सिंह विश्वविद्यालय, आरा  
मो- +91- 9931062586

## संगठन मंत्री

**डॉ० दिनेश कुमार दिनकर**मगध विश्वविद्यालय, बोधगया  
मो- +91-9308596371**सुनील कुमार सिंह**कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय  
दरभंगा  
मो- +91-9472698751/7979897929**रंजन कुमार**बी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर  
मो.- +91- 9472003662**डॉ० राजेश्वर राय**बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा  
मो- +91-9431413716**डॉ० रविन्द्र कुमार मिश्र**कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय  
दरभंगा। मो- +91- 8797275807**सुरेश कुमार चौधरी**तिलका मांक्षी विश्वविद्यालय, भागलपुर  
मो- +91-9973542172

## प्रवक्ता

**गौरव**बी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर  
मो- +91-9123469271**मो० नसीम अख्तर**सह प्रवक्ता (पटना क्षेत्र)  
मौलाना मजहूरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय  
पटना, मो- +91-7250267712

## संयुक्त कापाध्यक्ष

**सैय्यद शाहिद नकवी**मौलाना मजहूरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय  
पटना, मो- +91-7488449803

पत्रांक...MSP/209/Patna (1)

दिनांक...24/12/2021

सेवा में,

माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय  
राष्ट्रपति भवन भारत सरकार,  
नई दिल्ली।

विषय:- राजभवन के आदेश के वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले में अभियोजित एवं चार्जशीट डॉ० रविप्रकाश बबलू को जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलसचिव पद से अविलंब हटाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर निवेदित करना है कि:-

1) राजभवन के पत्रांक बी0एस0यू0 (रजिस्टार) -27/2017/698-जी0एस0(1) दिनांक 19.05.2021 के द्वारा विश्वविद्यालय के एकेडमिक एवं प्रशासनिक हित का हवाला देते हुए डॉ० रविप्रकाश बबलू एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, हरिराम कॉलेज, मैरवा, सिवान को जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा का कुलसचिव नियुक्त किया गया (अनुलग्नक 1) और डॉ० रविप्रकाश बबलू ने उक्त आदेश के आलोक में 19.05.2021 को ही कुलसचिव के पद पर योगदान भी कर लिया (अनुलग्नक 2)। विदित हो कि डॉ० रविप्रकाश बबलू जयप्रकाश वि०वि० छपरा में करोड़ों रु० की उत्तर पुस्तिका खरीद घोटाले से संबंधित निगरानी थाना कांड सं०-10/2015 दिनांक 30.01.2015 द्वारा धारा - 409,420,467,468, 477(A), 34,120(B) तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के धारा 13(1) D तथा 13 (2) तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा दर्ज मुकदमें के अभियुक्त हैं। भ्रष्टाचार के इस चर्चित मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के अनुरोध पर तत्कालीन कुलाधिपति महामहिम रामनाथ कोविन्द (वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति) की अनुमति से तत्कालीन प्रधान सचिव श्री ब्रजेश महरोत्रा ने अपने पत्रांक जे०पी०यू० 27/2015-1309 रा०स०(1) दिनांक 10.09.2015 के द्वारा इस कांड के अन्य अभियुक्तों (तत्कालीन कुलपति सहित) के साथ डॉ० रविप्रकाश बबलू जो उस समय विश्वविद्यालय में समायोजक, महाविद्यालय विकास परिषद के पद पर थे, के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप सही पाते हुए अभियोजन की स्वीकृत प्रदान किया (अनुलग्नक 3)।

2) राजभवन से अभियोजन की स्वीकृत मिलने के उपरांत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने निगरानी कोर्ट, मुजफ्फरपुर में दिनांक 12.10.2015 को अन्य अभियुक्तों के साथ डा० रविप्रकाश बबलू के विरुद्ध आरोप पत्र सं० (चार्जशीट) 64/15 समर्पित किया (अनुलग्नक 4)। वर्तमान समय में डॉ० बबलू जमानत पर है और मुकदमा जारी है।

3) वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के उक्त मामले में डॉ० आर०पी० बबलू के साथ तत्कालीन कुलपति प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता भी अभियुक्त थे और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने राजभवन से उनके विरुद्ध अभियोजनकी स्वीकृति मिलने के उपरांत निगरानी कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया (अनुलग्नक 5,6)। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आरोप पत्र समर्पित करने के उपरांत तत्कालीन राज्यपाल सह कुलाधिपति महामहिम रामनाथ कोविन्द ने राजभवन सचिवालय के पत्रांक जे०पी०यू०-21/2014-1628/जी0एस0(1)दिनांक 02.12.2015 द्वारा तत्कालीन कुलपति प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता को कुलपति पद से बर्खास्त कर दिया (अनुलग्नक 7)। मामले की गंभीरता इस बात से परिलक्षित होती है कि बिहार में उच्च शिक्षा के इतिहास में पहली बार किसी कुलपति को भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के प्रमाणित आरोप में बर्खास्त किया गया। इतना ही नहीं वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले में कुलपति को सहयोग करने वाले शिक्षकों :पदाधिकारियों को बिहार राज्य वि०वि० अधिनियम:1976 की धारा 69(4) के तहत राजभवन के आदेश पर निलंबित कर स्थानांतरित कर दिया गया। इसी क्रम में डा० रविप्रकाश बबलू को निलंबित कर आ०बी०जी०आर० कॉलेज, महाराजगंज से हरिराम महाविद्यालय, मैरवा, सिवान स्थानांतरित कर दिया गया और तबसे डा० बबलू वहीं पदस्थापित हैं (अनुलग्नक 8,9)।

4) डा० बबलू कई आपराधिक मामलों के आरोपी रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त पूर्व कुलपति प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता के विश्वासपात्र होने की वजह से डा० बबलू प्रभारी कुलसचिव सहित कई पदों पर आसीन थे और इनकी निरंकुशता इतनी बढ़ गई थी कि वे राजभवन के

# बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ

पटना- 800005 (बिहार)

(अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, नई दिल्ली)

पंजीयन-97/82

प्रदेश कार्यालय-अखिलेश नगर, पश्चिमी रोड नं०-2,  
थाना-बाइपास, पोस्ट-झाऊगंज, पटना-800006, मो-7543042345Email-info@bsuef.org  
website: www.bsuef.org

प्रदेश अध्यक्ष

**शंकर यादव**

एल.एन.एम.यू. दरभंगा।

मो०- 9430996453 / 8271191632



प्रदेश महासचिव

**राघवेंद्र कुमार**

बी०आर०ए०बी०यू०, मुजफ्फरपुर

मो०-9973358168

♦ उपाध्यक्ष ♦

**डॉ० दीलिप कुमार गुप्ता**पटना विश्वविद्यालय, पटना  
मो०- +91-7631696569**डॉ० सरोज कुमार सिंह**जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा  
मो- +91- 9939745814

♦ कापाध्यक्ष ♦

**जनाब मंजर इमाम**बी० कू० सिंह विश्वविद्यालय, आरा  
मो०- +91- 9931062586

♦ सगठन मंत्री ♦

**डॉ० दिनेश कुमार दिनकर**मगध विश्वविद्यालय, बोधगया  
मो०- +91-9308596371**सुनील कुमार सिंह**कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय  
दरभंगा  
मो०- +91-9472698751/7979897929**रंजन कुमार**बी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर  
मो.- +91- 9472003662**डॉ० राजेश्वर राय**बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा  
मो०- +91-9431413716**डॉ० रविन्द्र कुमार मिश्र**कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय  
दरभंगा। मो०- +91- 8797275807**सुरेश कुमार चौधरी**तिलका मांक्षी विश्वविद्यालय, भागलपुर  
मो०- +91-9973542172

♦ प्रवक्ता ♦

**गौरव**बी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर  
मो०- +91-9123469271**मो० नसीम अख्तर**सह प्रवक्ता (पटना क्षेत्र)  
मौलाना मजहूरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय  
पटना, मो०- +91-7250267712

♦ संयुक्त कापाध्यक्ष ♦

**सैय्यद शाहिद नक़वी**मौलाना मजहूरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय  
पटना, मो०- +91-7488449803

पत्रांक: १२९० / २०११ / Patna (२)

दिनांक: २५/१२/२०२१

आदेश को भी नहीं मानते थे। राजभवन के आदेशों को भी नहीं मानते थे। राजभवन के आदेशों की लगातार अवमानना एवं अनुशासनहीनता की वजह से महामहिम ने डा० रविप्रकाश बबलू का स्थानांतरण दर्शन शास्त्र विभाग, जयप्रकाश वि०वि० छपरा से पैतृक महाविद्यालय आर०बि०जी०आर० कॉलेज महाराजगंज कर दिया था (अनुलग्नक 10)। इनके क्रिया कलापों से नराज राजभवन ने इन्हें दो बार प्रमारी कुल सचिव सहित तमाम पदों से मुक्त करने का आदेश कुलपति को दिया था (अनुलग्नक 11)।

5) डा० रविप्रकाश बबलू ने राजभवन के स्थानांतरण आदेश को पटना उच्च न्यायालय में सीडब्लूजेसी न० 943/2015 के द्वारा चुनौती भी दिया था लेकिन जयप्रकाश वि०वि० प्रशासन द्वारा इनके आपराधिक इतिहास, भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता संबंधी ब्योरा जबाबी हलफनामा के माध्यम से न्यायालय के समक्ष सप्रमाण प्रस्तुत किया तो इन्होंने अपना मुकदमा वापस ले लिया (अनुलग्नक 12)। जो एक प्रकार से प्रमाण है कि डा० बबलू का इतिहास दागदार रहा है एवं ये भ्रष्टाचार में पूणतः सम्मिलित रहें है।

6) इस तरह राजभवन की अनुमति एवं निर्देशों पर वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले में अभियोजित एवं चार्जसीटेड डा० रविप्रकाश बबलू को पुनः राजभवन द्वारा कुलसचिव पद पर नियुक्त करने से विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी छात्र संघ एवं बुद्धिजीवी विस्मित, हतप्रभ एवं मर्माहत है। विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामलों में राजभवन की नीति एवं रवैया जीरो टालरेंस की रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजभवन सचिवालय के अधिकारियों ने महामहिम के समक्ष डा० रविप्रकाश बबलू से जुड़े भ्रष्टाचार एवं आपराधिक मामलों से संबंधित संचिका को अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं कर तथ्यों को छिपाया और इस तरह का अवैध एवं अनुचित निर्णय लिया गया। राजभवन के इस निर्णय उच्च शिक्षा कि शुचिता एवं गरिमा को तो चोट पहुंची ही है और राजभवन की छवि भी धुमिल हुई है। जिससे बिहार सरकार एवं शिक्षा विभाग की भी छवि पर आघात हुआ है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में महामहिम से निवेदन है कि वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजित एवं चार्जसीटेड डा० रविप्रकाश बबलू को कुलसचिव को अविलंब बर्खास्त करने की कारवाई हेतु महामहिम को निर्देश दिया जाए तथा राजभवन को बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु आदेशित करने का महत्वी कृपा प्रदान किया जाए।

सादर अर्पण में अर्पित।

गुनवर की शुभसमता सहित।

  
२५/१२/२०२१


  
मवदीय  
प्रदेश महासचिव २५/१२/२०२१